

छुट्टी की अर्जी का कार्य

एस0आर0-1

FORM OF APPLICATION FOR LEAVE

S.R.-1

(अनुपूरक नियम 216 देखिये) ( See Supplementary Rule 216)

टिप्पणी—पद्ध सं0 1 से 11 प्रत्येक प्रार्थी को भरनी चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित।

Note- Items 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non-gazetted.

1. प्रार्थी का नाम/ Name of applicant \_\_\_\_\_.
2. लागू होने वाली छुट्टी नियमावली \_\_\_\_\_.  
Leave rule applicable
3. पद/ Post held \_\_\_\_\_
4. विभाग, कार्यालय और अनुभाग \_\_\_\_\_  
Department, Office, and Section
5. वेतन/Pay \_\_\_\_\_
6. वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकर भत्ते।  
House rent allowance, conveyance allowance or other compensatory allowances drawn in the present post.
7. माँगी गई छुट्टी की किस्म, अवधि और उसके शुरू होने का तारीख/  
Nature and Period of leave applied for and date from which required.
8. रविवार और छुट्टी के दिन यदि कोई हो, जिन्हें छुट्टी से पहले/  
बाद में जोड़ना चाहते हैं।  
Sundays and holidays, if any proposed to be prefixed/  
suffixed to leave.
9. छुट्टी का कारण  
Ground on which leave is applied for
10. पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी की किस्म  
तथा अवधि।  
Date of return from last leave and the nature and  
period of that leave.
11. मेरा विचार आगामी छुट्टी में \_\_\_\_\_ के खण्ड वर्षों के लिए छुट्टी यात्रा की कैफियत लेने  
का है/ नहीं है/ I propose/do not propose to avail myself of leave travel concession in the  
block years \_\_\_\_\_ during the ensuing leave.
12. (क) मैं वचन देता हूँ कि औसत वेतन छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी की अवधि में लिए गए छुट्टी वेतन और आधे  
औसत वेतन/आधे वेतन की छुट्टी से मिलने वाले वेतन के अन्तर की उस रकम को वापस कर दूंगा जो छुट्टी  
की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवा निवृत्त होने की स्थिति में मूल नियम 81 (ख) (ii) /संशोधित  
छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम 11 (ग) (iii) के लागू न होने पर अनुमत्य न होती।  
(a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on  
average pay/commuted leave and that admissible during leave on half average  
pay/half pay leave /which would not have been admissible had the provisio to  
F.R.81 (b) (ii) rule-II (c) (iii) of the Revised Leave Rules, 1933 not been applied in  
the event of my retirement from service at the end or during the currency of the  
leave.
12. (ख) मैं वचन देता हूँ कि मेरे स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने या सेवा से त्याग-पत्र देने तक यदि मैं कम से कम  
आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सका जितनी अग्रिम छुट्टी मैंने ली है तो अग्रिम छुट्टी के दौरान  
जो मूल नियम 81 (ग) / संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम II (घ) के लागू न किए जाने पर मुझे  
न मिल पाती, मिले छुट्टी के वेतन को वापस कर दूंगा।  
(b) I undertake to refund the leave salary drawn during leave not due which would not  
have been admissible and F.R.81 (c) rule-II (d) of the Revised Leave Rules, 1933  
not been applied, in the event of my voluntary retirement or resignation from service  
at any time until I earn half pay leave not less than the amount of leave not due  
availed of by me.

तारिख  
Date \_\_\_\_\_

प्रार्थी के हस्ताक्षर  
Signature of applicant \_\_\_\_\_

13. नियन्त्रण अधिकारी की टिप्पणी और/या सिफारिश  
Remarks and / or recommendation of the Controlling Officer.

तारिख  
Date \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर/ Signature  
पदनाम/ Designation

- ❖ स्वीकृति देने वाले अधिकारी के आदेश:-
- ❖ Orders of the sanctioning authority:-

तारिख  
Date \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर/ Signature  
पदनाम/ Designation

- ❖ यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकर भत्ता मिलता हो तो मंजूरी देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि छुट्टी पूरी होने पर प्रार्थी उसी पद पर या किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं जंहा इसी प्रकार का भत्ता मिलता हो।
- ❖ If the applicant is drawing any Compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to return to same post or to another post carrying a similar allowance.